

2130

CE(P)

22/05/23

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

MD

23/05/23

ई पत्रावली संख्या- 49198

प्रेषक,

विनीत कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

1549

SSO-III (P)

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

10/05/23
इं० जीवन सिंह ह्यांकी
वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 18 मई, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र- श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैन्सडाऊन, पौड़ी एवं यमकेश्वर में पूर्व निर्मित विभिन्न क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर क्लास 'ए' क्लास लोडिंग (डेढ़ लेन) सेतुओं का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा विषयगत कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनमें सेतुओं की लागत ₹ 175.99 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 93.88 लाख (रूपये तिरानब्बे लाख अठासी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) अर्थात् 09 कार्यो हेतु ₹ 0.90 लाख (रूपये नब्बे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)19-190(PWD)01टी.सी.II दिनांक 05.02.2020 एवं शासनादेश संख्या-1403/III(2)/21-8(सामान्य)2020 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रेक्च्यूरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुमोदित
24.5.23

002/2023

- ix. उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।
- x. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
- xii. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- xiii. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या -4227 Chief Engineer, PWD में किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- 337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 की कम्प्यूटरजनित संख्या- I/121677/2023 दिनांक 12 मई, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Vineet Kumar

Date: 18-05-2023 13:08:17

(विनीत कुमार)

अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
10. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जनपद पौड़ी।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।

002/2023

ई पत्रावली संख्या- 49198 का संलग्नक

धनराशि (लाख ₹ में)

क्र.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (मी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित ल ागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमु क्त की जा र ही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र- श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत कर्णप्रयाग-नौटी-पैठा णी मोटर मार्ग (एस0एच0-34) के किमी0 78 में पूर्व निर्मित क् लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	48 Mtr	12.48	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र- चौबट्टाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत मरचूला सराईखेत बै जरो पोखड़ा मतपुली पौड़ी मोटर मार्ग (एस0एच0-32) के कि0मी0 165 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	45 mtr.	12.15	0.10
3.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र- लैन्सडौन के विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत घट्टूगाड- चैलूसैण -गुमखाल-डेरियाखाल-रिखणीखाल-बीरोंखाल राज्य मार्ग संख्या-51 के कि0मी0 152 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य(प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	60 mtr.	15.60	0.10
4.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र- लैन्सडौन के विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत घट्टूगाड- चैलूसैण -गुमखाल-डेरियाखाल-रिखणीखाल-बीरोंखाल राज्य मार्ग संख्या-51 के कि0मी0 166 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	48 mtr.	12.48	0.10
5.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र- पौड़ी के विकासखण्ड कोट के अन्तर्गत टिहरी-हिण्डोलाखाल- देवप्रया ग-व्यासघाट-बिलखेत मोटर मार्ग (एस0एच0-49) के किमी0 70 (चै 0 69.95) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	34 mtr.	9.18	0.10
6.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र- पौड़ी के विकासखण्ड कोट के अन्तर्गत टिहरी-हिण्डोलाखाल- देवप्रया ग-व्यासघाट-बिलखेत मोटर मार्ग (एस0एच0-49) के किमी0 71 (चै 0 70.92) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ ए वं TOR के अनुसार)	20 mtr.	6.20	0.10
		45 mtr.	12.15	

3002/2023

7.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-पौड़ी के विकासखण्ड कोट के अन्तर्गत टिहरी-हिण्डोलाखाल- देवप्रयाग-ब्यासघाट-बिलखेत मोटर मार्ग (एस0एच0-49) के किमी0 72 (चै 0 71.50) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)			0.10
8.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-पौड़ी के विकासखण्ड कोट के अन्तर्गत टिहरी-हिण्डोलाखाल- देवप्रयाग-ब्यासघाट-बिलखेत मोटर मार्ग (एस0एच0-49) के किमी0 81 (चै 0 80.50) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	24 mtr.	7.44	0.10
9.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-पौड़ी के विकासखण्ड कोट के अन्तर्गत टिहरी-हिण्डोलाखाल- देवप्रयाग-ब्यासघाट-बिलखेत मोटर मार्ग (एस0एच0-49) के किमी0 90 (चै 0 89.50) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	20 mtr.	6.20	0.10
	कुल योग:-	-	93.88	0.90

(₹ नब्बे हजार)

Signed by Shyam Singh
Date: 18-05-2023 17:50:27

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/123002/2023
 अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23050220052
 आवंटन पत्र दिनांक-19-MAY-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़के

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
 800-03-02से स्थानान्तरित)

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					900000	90000	0	990000				
योग					900000	90000	0	990000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.90,000 (Rupees Ninety Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 649 / 20 याता0'क'नियो0-1/2023

दिनांक-24.05.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता 12 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण/प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।